संख्या-82/2018/2700/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-30 जुलाई, 2018

विषयः- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद् गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-77/2018/2324/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018, दिनांक-28.06.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिए रू0-120.00 लाख प्रति जनपद की दर से उपाशयित कुल व्यय भार रू0-8160.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-50.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रू0-3400.00 लाख (रूपये चौंतीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-(-)-वृहद गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना-24-वहत् निर्माण कार्य' के अन्तर्गत कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-102-पशु तथा भैंस विकास-(-)-वृहद गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना-24-वहत् निर्माण कार्य' अंकित हो गया है जिसके स्थान पर संशोधित लेखाशीर्षक निम्नवत् पढा जायेः-

लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'

2- शासनादेश दिनांक-28.06.2018 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-450/दस-2018, दिनांक-27.07.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-82/2018/2700(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in